संख्या-1451/2025/1846/22-2-2024-17(625)/2025

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 01 दिसम्बर,2025

विषयः- जिला कारागार, रामपुर में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी भूरी पत्नी श्री अय्यूब, निवासी जनपद-रामपुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक,(मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-30216/प्रोबे0-5-दया0 बैठक दिनांक 16-09-2024, दिनांक 07.10.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार महिला बन्दी भूरी पत्नी श्री अय्यूब, बगड़खां, थाना-अजीमनगर, जनपद-रामपुर का निवासी है। महिला बन्दी द्वारा दिनांक 15.02.2016 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर आग लगाकर शहनाज को जला दिया, जिसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस०टी० नं०-510/2016, भा0द0वि0 की धारा- 302/34 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, रामपुर के दण्डादेश दिनांक 21.01.2019 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 27.05.2024 तक अपरिहार 07 वर्ष, 10 माह, 07 दिन तथा सपरिहार 09 वर्ष, 03 माह, 24 दिन की सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक, रामपुर द्वारा अपनी आख्या में अंकित किया गया है कि महिला बन्दी के परिवार की सामाजिक एवं आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु ठीक नहीं होने, समयपूर्व रिहाई पर पीड़ित परिवार को आपत्ति होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है तथा जिला मजिस्ट्रेट, रामपुर द्वारा पुलिस अधीक्षक, रामपुर की आख्या से सहमत होते हुए सिद्धदोष महिला बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, रामपुर में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी भूरी (बन्दी संख्या-11/2019) पत्नी श्री अय्यूब, निवासी जनपद-रामपुर की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या1451/2025/1846(1)/22-2-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, रामपुर।

2- अधीक्षक, जिला कारागार, रामपुर।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।